झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) बाह्य– 05/2012 राँची, दिनांक –

आदेश

आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल चाईबासा के पत्रांक–60 (A) गो० दिनांक 07.12.11 द्वारा श्री सूर्यनाथ सिंह, तत्का० सहायक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई –

" पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत संत नरसिंह बालिका उच्च विधालय, मनोहरपुर के पुराने विधालय भवन के उपर कराये जा रहे निर्माण कार्य प्राक्कलन के आधार पर करवाया जा रहा है। जबकि पुराना भवन जर्जर अवस्था में है। अधिकांश सिलिंग का पलास्टर झड़ चुका है। छड़ दिखाई पड़ रहा है एव बीम भी क्रेक कर गया है। छत पर अधिक भार पड़ने पर भवन ध्वस्त हो सकता है एवं जान–मान की क्षति भी संभव है। ऐसी परिस्थिति में भवन को कंडम घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन आपके द्वारा उक्त भवन के उपर मरम्मति हेतु प्राक्कलन दिनांक– 20.01.07 को तैयार किया गया जो गैरजिम्मेदाराना कृत है।"

2. झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही कालबाधित हो जाने के कारण इस नियमावली के नियम 139 (ग) के अन्तर्गत श्री सूर्यनाथ सिंह से विभागीय पत्रांक 2978 दिनांक 03.06.16 द्वारा उक्त आरोप के सापेक्ष कारण पृच्छा की गई।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित उक्त कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत संत नरसिंह बालिका उच्च विधालय, मनोहरपुर के पुराने भवन पर निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने के लिए श्री सूर्यनाथ सिंह को दोषी पाया गया। इस प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 4211 दिनांक 23.08.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई –

(i) श्री सिंह के पेंशन राशि से 10% की कटौती पाँच वर्षो के लिए।

4. श्री सूर्यनाथ सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसमें श्री सिंह द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा प्राक्कलन जनवरी 2007 में बनाया गया एवं वर्ष 2009 में मेरे प्राक्कलन पर कार्य कराया गया है। इस प्राक्कलन को बिना संशोधित किये लगभग ढाई वर्ष बाद कार्य प्रारंभ किया गया जिसके लिये मुझे दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है।

5. समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा पुनः विभागीय स्तर पर की गई एवं पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बल्कि श्री सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त प्राक्कलन तैयार करना उचित नहीं था। इसके बावजूद भी जान बूझकर जर्जर भवन पर निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर समर्पित किया गया जिसके लिये वे दोषी है। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है–

(i) श्री सूर्यनाथ सिंह के पेंशन राशि से 10% की कटौती पाँच वर्षो के लिए।

6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक – राँची,दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

E:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx

राँची,दिनांक – 13-04-17

ज्ञापांक – 1840

प्रतिलिपि – उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / श्री सूर्यनाथ सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता, सुरनिम टावर, बाटिका ग्रीन सीटी के पास, डिमना रोड़, मानगों जमशेदपुर / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.4.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

E:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx